निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति

बी–19, सुभावना निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

फोन : कार्यालय : 27872342 निवास : 27013523, 27022243 मो. : 9810810365 ई–मेल : ncccl2010@gmail.com

संयोजक	संस्थापक चेयरमैन	दक्षिण क्षेत्रीय संचालक	समन्वय
आर. वेंकटरमणी	न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर	आर. गीता	सुभाष भटनागर
वरिष्ठ एडवोकेट–सुप्रीम कोर्ट	भूतपूर्वक न्यायाधीश – सुप्रीम कोर्ट	चेन्नई, तमिलनाडु	एडवोकेट

दिनॉक 6 अगस्त 2020

सभी निर्माण मजदूर को क्यों जानना चाहिए कि दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के केस में दिल्ली उच्च न्यायालय में क्या–क्या हो रहा है?

1.स्व. श्री ईश्वर शर्मा और उनकी विधवा श्रीमती जोखन देवी की पेंशन का केस

निर्माण मजदूर पंचायत संगम ने दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के अनियंत्रित भ्रष्टाचार को ठीक करने के उद्देश्य से सबसे पहले निर्माण मजदूरो के कर्मठ कार्यकर्ता श्री ईश्वर शर्मा की बकाया पेंशन और उनकी विधवा की पारिवारिक पेंशन का केस वकील श्री चिरायू जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लगवाया। दूसरी सुनवाई पर ही माननीय उच्च न्यायालय के न्यायधीश नाज़्मी. वज़ीर साहब ने एक हफते में स्व. श्री ईश्वर शर्मा और श्रीमती जोखन देवी की पेंशन की गणना करने और अगले दो हफतो में उसका भुगतान करने को आदेश दिया। पहली जून तक श्रीमती जोखन देवी के खाते में दोनो की पेंशन का बकाया और 25000 रुपया कास्ट, फुल 1,00,387/रुपये 2 अप्रैल 2020 तक जमा कर दिया गया।

2. (1)जय पाल, राजमिस्त्री, रोहिणी सेक्टर–3 (2) हरिओम, राजमिस्त्री, सुलतानपुरी (3) हरीराम, मिस्त्री, शाहबाद डेरी, और राजू ,बढ़ई, बवाना जे. जे. पुनर्वास बस्ती का केस

निर्माण मजदूर पंचायत संगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दूसरा केस चार निर्माण मजदूरों के नाम से वकील श्री चिरायू जैन द्वारा लगवाया जिसके साथ 118 पेंशन आवेदकों और 164 उन निर्माण मजदूरों की सूची भी लगायी गयी जिन्हें कोविड–19/कोरोना लॉकडाउन के पॉच हजार रुपया का

मुवावजा नहीं मिला था। ये नगद मुवावजा देने का सुझाव केन्द्र सरकार द्वारा देश के सभी 36 निर्माण मजदूर कल्याण बोर्डो और सरकारों को दिया गया था।

3. निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने तीसरा हस्तक्षेम CWP29911/2020 में पार्टी बनने के लिये किया

निर्माण मजदूर पंचायत संगम ने 22 और 26 मार्च को दिल्ली के मुख्य मंत्री को लिखा कि नवीनीकरण करवाने/नही ं करवा सकने की शर्त के बिना 2005 से पंजीकृत सभी निर्माण मजदूरों को पॉच हजार रुपये महीने मुवावजा दिया जाये। निर्माण मजदूर पंचायत संगम ने सुझाव दिया कि सभी पंजीकृत निर्माण मजदूर /हिताधिकारियों से दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड द्वारा उन्हें दिये गये **पहचान पत्र, आधार कार्ड, और बैंक एकाउन्ट की पास बुक की फोटो कॉपी के आधर पर तुरन्त मुवावजा दिया जाये।**

दिल्ली के सभी क्षेत्रों में जिन स्कूल इत्यादि से रोज खाना बॉटा जा रहा था वहीं से ये काम आसानी से और जल्दी से पूरा हो सकता था।

4. पॉच लाख पंजीकृत निर्माण मजदूरों को मुवावजा मिलने में देर किस लिये हुई?

दिल्ली के मुख्यमंत्री और श्रममंत्री ने तो हमें कोई जबाब नहीं दिया परन्तु श्री सुनील अलेडिया नाम के एक व्यक्ति ने, जिनके निर्माण मजदूरों के साथ काम करने के सम्बन्ध के बारे में निर्माण मजदूर पंचायत संगम कुछ नहीं जानती, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि **पहले सभी पंजीकृत निर्माण मजदूरों का नवीनीकरण किया जाये तब ही उन्हें 5000 रुपये दिया जाये।**

इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायलय ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि **सभी पंजीकृत निर्माण मजदूर पॉच हजार रुपये का मुवावजा पाने वैसे ही अधिकारी है जैसे वे लगभग चालीस हजार निर्माण मजदूर जिन्हें कि ये मुवावजा दिया गया है।** इसके लिए उन सबको अपना नवीनीकरण करवा लेना चाहिए।

5. ऑनलाइन पंजीकरण को सार्वजनिक करना

दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड ने 15 मई 2020 से ऑनलाइन पंजीकरण की अपनी योजना को सार्वजनिक या प्राइवेट करने का फैसला किये था जिसके लिए कोई नियत फीस की घोषणा नहीं की थी। **सभी यूनियनों और साइबर एजेन्सियों को मनमानी फीस लेने की छूट दे दी थी।**

लेकिन बोर्ड के पास पंजीकरण अधिकारी के रूप में **केवल तीन उप–सचिव** थे जो किसी भी तरह इस नयी व्यवस्था में नवीनीकरण या पंजीकरण करवाने वाले सभी निर्माण मजदूर /हिताधिकारी पहचान पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर भी नहीं कर सकतें थे।

इसलिए **निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति** ने सुनील अलेडिया की **उपरोक्त याचिका में पार्टी बनने की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दी ताकि निर्माण मजदूरों के हित में उपयुक्त निर्देश दिलवाये जा सकें।** श्री सुनील आलेडिया तो अब तक निर्माण मजदूर पंचायत संगम के सचिव को ये नहीं बता पाये कि उपरोक्त याचिका को उन्होंने किस उद्देश्य से दायर की थी और अब वे उस याचिका में माननीय उच्च न्यायलय से क्या चाहते हैं?

कुछ समय बाद **'दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्था'** ने भी एक याचिका दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाते हुए दायर की जिसका कहना था कि दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड पंजीकृत हिताधिकारी में से अधिकांश निर्माण मजदूर नहीं हैं।

यदि निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति इस याचिका में पार्टी नहीं बनती तो उच्च न्यायालय के समक्ष निर्माण मजदूरों का पक्ष कोई नहीं रखता।

इस **लेख में आगे केवल वह सब लिखा जाएगा जो सभी निर्माण मजदूरों के लिए जानना जरूरी है जिसे जानकर वे अपने पंजीकरण के सालाना नवीनीकरण बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आने वाली अड़चनों को दूर कर सकते हैं, जिसे जानकर वे बोर्ड द्वारा उनके हित लाभ नहीं दिए जाने पर कोर्ट के द्वारा हित लाभ लेने का रास्ता पूरी तरह समझ सकते हैं।**

यह विवरण हम उन **उपरोक्त तीनों केसों की उपलब्धियों को अलग–अलग समझाते हुए देंगे** जिन्हें आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, और बोर्ड के अधिकारियों पर उनका पालन करने के

लिए दबाव डालें, उन्हें मजबूर करें, और जरूरत पड़े, तो उन्हें बदलने के लिए सरकार पर दबाव डालें, सरकार ना सुने, तो उसे बदलने का संकल्प लें।

सबसे पहले **'हम सुनील कुमार अलेडिया बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार'** की पिछली पांच सुनवाई पर पारित निर्देशों को लेंगे जिनके पालन से दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का काम काफी दुरुस्त हो सकता है, और दिल्ली के निर्माण मजदूरों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है।

16 जून 2020

1.दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि **बोर्ड काफी संख्या में खुद पंजीकरण करने के केंद्र खोलें,** यह काम अभी तक नहीं हुआ है। NCC-CL का सुझाव है कि सभी 9 जिलों में और बोर्ड के मुख्यालय पर लिंग संख्या में पंजीकरण केंद्र खोले जाएं जहां आधार कार्ड के ठीक करने के भी केंद्र हूं ताकि निर्माण मजदूरों को सुधार करवाने के लिए एसडीएम (SDM) कार्यालय नहीं जाना पड़े।

2. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरा निर्देश **दिल्ली राज्य कानूनी सहायता संस्था (DALSA) के सचिव और बोर्ड के सचिव के बीच बैठक** करके ऑनलाइन पंजीकरण के **फार्म को सहज बनाने का निर्देश दिया।** यह काम भी अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि बोर्ड ने नए सचिव, मोहम्मद अली असरफ साहब दिल्ली सरकार के तीन अन्य विभागों/ मंत्रालय के भी सचिव हैं और उन्हें खुद बोर्ड के काम को समझने का समय नहीं है।

इन बैठकों में बोर्ड के ऐसे उप सचिव और अकाउंट विभाग के अधिकारी बैठते हैं जिन्होंने खुद कुछ दिन कुछ हफ्ते और कुछ महीने पहले बोर्ड में काम करना शुरू किया है और **वे खुद बोर्ड का काम नहीं समझते।**

दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड 1996 के केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत गठित एक त्रिपक्षीय संस्था है परंतु दिल्ली सरकार ने एक बार भी बोर्ड के श्रमिक प्रतिनिधियों को DALSA सचिव के साथ विचार विमर्श के लिए बुलाना उचित नहीं समझा और बोर्ड की जो बैठक 7 जुलाई 2020 को

हुई उसमें भी 3 श्रमिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति नहीं के बराबर रही। श्रम प्रतिनिधियों की बोर्ड सचिव के साथ 21 जुलाई 2020 की बैठक के बारे में हम आगे बता देंगे।

दिल्ली सरकार को कम से कम बोर्ड के पूर्व सचिव, श्री नेदू चेजियन को, जिन्होंने तीन साल पूर्ण कालीन बोर्ड सचिव की तरह काम किया और ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था को वास्तविक बनाया और जो वर्तमान में **दिल्ली नगर निगम उत्तर दिल्ली** में काम कर रहे हैं उन्हें DALSA सचिव से बात करने के लिए बुलाना चाहिए था। यह करना अब भी उपयोगी होगा।

2 जुलाई 2020

3. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवीनीकरण करवाने वाले पंजीकृत **हिताधिकारी से परिवार का विवरण नहीं पूछने को कहा** इसका अर्थ है कि यदि परिवार के सभी सदस्यों का विवरण नहीं है या उसके सबूत नहीं है या उनके आधार पर मैच नहीं कर रहे हैं तो भी नवीनीकरण कर दिया जाए, मना नहीं किया जाए ताकि हिताधिकारी दस हजार रुपये का कोरोना लॉकडाउन का मुआवजा लेने का तुरंत अधिकारी बन जाए।

4. दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश है कि **यदि आधार कार्ड में और पंजीकरण के रिकॉर्ड में दी गई पंजीकृत हिताधिकारी का जन्म तिथि में समानता नहीं है तो भी नवीनीकरण कर दिया जाए, मना नहीं किया जाए।**

काफी संख्या में आधार कार्ड में जन्मतिथि की तारीख, महीना और साल के बजाय केवल साल लिखा होता है। ऐसे निर्माण मजदूरों के एसडीएम (SDM) कार्यालय जाकर पूरी तारीख लिखवाने के लिए नवीनीकरण रोक दिया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के बावजूद बोर्ड अधिकारी के दिमाग में यह बात बैठती नहीं है कि शायद वह यह आदेश जानते ही नहीं हैं और निर्माण मजदूर को एसडीएम (SDM) कार्यालय भेज देते हैं।

निर्माण मजदूरों को और उनकी यूनियन को कोर्ट के इस निर्देश को नहीं मानने का विरोध करना चाहिए और इस निर्देश का पालन करवाने के लिए आग्रह करना चाहिए, उठना चाहिए।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि एक **निर्माण मजदूर का बैंक दिल्ली से बाहर हो या बैंक का विवरण नहीं हो तो भी उसका पंजीकरण रोका नहीं जाना चाहिए।**

शायद बोर्ड के अधिकारी यह निर्देश भी जानते। निर्माण मजदूर और उनकी यूनियनों को भी इस आदेश का पालन करवाना पड़ेगा।

6. दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि फार्म में **निर्माण मजदूरों वर्तमान पता या पते का सबूत नहीं मांगा जाए।** निर्माण मजदूर और उनकी यूनियनों को यह निर्देश लागू करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड तो भ्रष्ट **''आउट सोर्स स्टाफ''** से भरा पड़ा है जो केवल पैसे लेकर काम करना चाहते हैं।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर अपना उपरोक्त दूसरा निर्देश दोहराया कि डी ए एल एस ए (DALSA) के सचिव और दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड सचिव सुनिश्चित करें कि **नवीनीकरण फार्म में कम से कम सवाल हो** जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है, यह होना अभी बाकी है।

8. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड को यह भी निर्देश दिया कि वह अपने हिताधिकारियों का **पंजीकरण ई–डिस्ट्रिक्ट पर ना करके अपनी अलग वेबसाइट पर करें** क्योंकि E-district पर और भी बहुत सी योजनाओं का बोझ है।

दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में कोई भी ऐसा जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो यह करवा सके। इस काम के लिए बोर्ड को पूर्ण कालीन सचिव की नियुक्ति ही एकमात्र रास्ता है। सभी निर्माण मजदूर और उनकी यूनियनों को मांग करनी चाहिए कि श्री मोहम्मद अली असरफ साहब **या तो अन्य तीन विभागों की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दें और बोर्ड के पूर्ण कालीन सचिव की जिम्मेदारी संभाले या बोर्ड के सचिव की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दें और एक पूर्ण कालीन सचिव की नियुक्ति करवाने में मदद करें।**

9. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि **निर्माण मजदूर जो भी स्थानीय पता दें** बोर्ड को वह **पता बिना कोई सबूत मॉगें स्वीकार करना चाहिए** क्योंकि निर्माण मजदूरों के पास अक्सर अपने पते का सबूत नहीं होता ।

हम सब जानते है कि अभी भी यह वाद बोर्ड के अधिकारियों के गले नहीं उतर रहा है इसलिए निर्माण मजदूरों की यूनियन को इस निर्देश को मनवाने के लिए अभी काफी दबाव बनाने की जरूरत है ।

10. दिल्ली उच्च न्यायल ने एक बार फिर दोहराया कि **बैंक की IFSC और MICR कोड के अभाव में पंजीकरण को रोकना या निरस्त नहीं करना चाहिए।** न्यायालय ने बोर्ड को निर्देश दिया कि निर्माण मजदूरों को बैंक विवरण देने के लिए अलग से एक अवसर देना चाहिए।

11. बोर्ड ने न्यायालय को बताया कि **अगर जन्म तिथि के रिकार्ड का आधार कार्ड से मेल नहीं होता है तो वे उसके दूसरे सबूत या एफिडेविट पर अण्डरटेकिंग को स्वीकार कर लेते है। अदालत ने इस वक्तव्य (Statements) को रिकार्ड करने का आदेश दिया।**

12. दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि नवीनीकरण के लिए जन्म का कोई सबूत नहीं मॉगा जाये।

13. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह **सभी एस. डी. एम.(SDM) को उनके मोबाइल फोन नंम्बर अपडेट करने में सहायता करें ताकि ई–डिस्ट्रिक्ट के लॉग इन की समस्या का हल हो सके।**

14. दिल्ली उच्च न्यायालय ने **बोर्ड को बिना लिखित कारण दिये कोई भी फार्म निरस्त/रद नहीं करें और किसी भी निर्माण मजदूर को वापिस नहीं भेजे।** बोर्ड को निर्देश दिया कि वह **एक स्टैन्डर्ड फार्म बनाये** जिसमें सभी आम कमियॉ लिखी हो जिस पर मार्क लगाया जा सके जो कमियॉ निर्माण मजदूर के फार्म में हो।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है जिसका अभी तक पालन नहीं हुआ है। निर्माण मजदूरों की सभी यूनियनों को इसे जल्दी से जल्दी पूरा करवाना चाहिए तब ही भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा निर्माण मजदूरों का बिना सही कारण के सिर्फ नाजायज पैसे बसूलने के लिए दिन भर धूप में खडा करके वापिस भेजने पर अंकुश लग सकेगा।

17 जुलाई 2020 की सुनवाई में

15. दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि **बोर्ड DSLSA के वकीलों को नवीनीकरण के लिये आवेदन अनुमोदित करने का अधिकार दे।**

सब जानते है कि ऑनलाइन पंजीकरण के सार्वजनिक करने के बाद से जितने आवेदन जमा हो रहे हैं **बोर्ड केवल तीन उपसचिवों को अधिकृत पंजीयन अधिकारी होने के कारण उनके दस प्रतिशत के पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाती है।**

अगर 9 उप सचिव भी हो गये तो 30 प्रतिशत पंजीकरण से ज्यादा नहीं हो पायेगें।

फिर भी **बोर्ड के सचिव ने न तो बोर्ड की बैठक बुलाई और न ही उपरोक्त एजेन्डा आगे बढाया।** इस परिस्थिति में सभी यूनियनों को दबाव डालकर **DALSA के वकीलों को पंजीरण का अधिकार दिलवाने के प्रस्ताव का एजेन्डा लेकर बोर्ड की बैठक बुलाने का दबाव बनाना चाहिए।** श्रम मन्त्री श्री गोपाल राय को जो दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी है, बोर्ड की बैठक के लिए और निर्माण मजदूर की यूनियनों के लिए समय निकालने के लिए बाध्य करना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के पिछले पूरे काल में दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड मे केवल चार श्रमिक प्रतिनिधि रहे। इस बार भी बोर्ड पर एक श्रमिक प्रमिनिधि के इस्तीफा दे देने के कारण फिर एक बार पॉच श्रमिक प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या कम कर दी है। इसलिए **बोर्ड के सभी श्रमिक प्रतिनिधि मिलकर दिल्ली निर्माण मजदूर रूल के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक बुलाने को आवेदन भी नही दे सकतें।**

16. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बोर्ड और DALSA को **वकीलों के लिए एक चेक लिस्ट/गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है** जिसका उन्हें नवीनीकरण आवेदनों की छटाई करते हुए अनुसरण करना होगा।

यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसका हिन्दी अनुवाद हम आगे लिखेगें जिससे सभी निर्माण मजदूरों को पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए।

17. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया कि **आवेदनों पर DALSA के वकीलों की रिपोर्ट या फैसले को बोर्ड अन्तिम फैसला मानेगी उनके आदेश के पालन में कोई देर नहीं की जायेगी।**

यहॉ हम DALSA के सचिव का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहेंगें कि क्योकि अधिकांश वकील BOCW Act निर्माण कार्य की सूक्ष्मताओं और बोर्ड के काम से परिचित नहीं हैं, उन्हें **पर्याप्त प्रशिक्षण या ओरिन्टेशन भी नहीं दिया गया है,** BOCW एक्ट के अन्तर्गत गठित **त्रिपक्षीय बोर्ड से भी उनके विचारों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है** और वे केवल नौसिखिये, अधकचे उपसचिवों और अन्य अधिकारियों से बोर्ड की जानकारी प्राप्त कर पा रहे है। **इसलिए ये अति आवश्यक है कि अतिआवश्यक परिस्थिति में कम से कम बोर्ड सचिव व DALSA सचिव के समक्ष अपील का रास्ता बनाये रखा जाये।**

18. दिल्ली उच्च न्यायालय ने DALSA और बोर्ड को आवेदकों के **ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सम्भावना को देखने का भी निर्देश दिया।**

<u>30 जुलाई 2020</u>

19. दिल्ली उच्च न्यायालय ने **एक बार फिर फोन और वीडियो काल पर वेरीफिकेशन करने पर जोर दिया,** विशेषकर उन निर्माण मजदूरों को ध्यान में रखते हुए जो लॉकडाउन के कारण अपने गॉव चले गये है।

20. दिल्ली उच्च न्यायालय ने **निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति के वकील श्री चिरायू जैन द्वारा दिये गये प्रस्तावित केवल ड़ेढ़ सफे और छः (6) सवालों के संक्षिप्त फार्म अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सीधा और सरल फार्म है और इसे अपनाया जा सकता है।** माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें समय भी कम लगेगा और वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जायेगा। **दिल्ली उच्च न्यायालय ने बोर्ड को इस फार्म को देखने का निर्देश देते हुए आशा व्यक्त की कि इसे अपना लिया जायेगा।** अगर किसी को ओव्जेक्शन है तो वे अगली तारीख से पहले लिखित तौर पर दे दिया जाये।

सथियों हमने यह छोटा सा फार्म कई ग्रुप में वितरित किया है। आपके नहीं मिला हो तो सीधें मुझे फोन करके अपने व्हाट्सएप पर इसकी प्रति ले सकते है। इसको भरने में मुश्किल से दस मिनट लगेगें, जबकि **वर्तमान फार्म को भरने में पचास से साठ मिनट लगतें है। इस तरह नवीनीकरण दस गुना तेज गति से हो सकता है।** बोर्ड ने अभी केवल 25 वकीलों की सेवायें मॉगी हैं। **इस फार्म को अपनाने के बाद DALSA द्वारा प्रस्तावित सभी सौ वकीलों के सेवायें लेकर जल्दी से जल्दी बकाया पॉच लाख निर्माण मजदूरो में से उपलब्ध सभी निर्माण मजदूरों का नवीनीकरण पूरा किया जा सकता है।**

आपका

सुभाष भटनागर